न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 76/2014 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2014/00196

कमलेश पत्नि धनपतराय पुत्री नत्थुराम जाति अरोड़ा निवासी मार्फत् धनपथ जनरल स्टोर नई मण्डी घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. बुद्धचन्द पुत्र नत्थुराम जाति अरोड़ा वार्ड नं. 18 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर(मृत्तक)
2. श्रीमति दुर्गादेवी पत्नि दौलतराम पुत्री नत्थुराम जाति अरोड़ा निवासी मुक्ताप्रसाद कॉलोनी बीकानेर
3. गुड्डी देवी पत्नि धनराज पुत्री स्व. नत्थुराम जाति अरोड़ा निवासी मार्फत सांई टेलीकोम पूगल बस स्टेन्ड शनिदेव मन्दिर के पास बीकानेर
4. अरूणा कुमारी पत्नि नानक चन्द पुत्री स्व. नत्थुराम जाति अरोड़ा निवासी पुरानी मण्डी घड़साना जिला श्रीगंगानगर
5. ओमप्रकाश पुत्र नत्थुराम जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 18 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
6. मंगलचन्द पुत्र नत्थुराम जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 18 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
7. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच ग्राम 68 एम. पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री राजेन्द्र सिंह शिमला — अभिभाषक अपीलांट
श्री पवन शर्मा — अभिभाषक रेस्पोडेंट्स संख्या 5

अनुपस्थितः श्री हरिश मदान — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 6

निर्णय

दिनांक 21.02.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 21.04.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि वाके चक 10 पी.टी.डी. पत्थर नंबर 258/346 के मुरब्बा नंबर 13 की कुल 2.657 हैक्ट., पत्थर नंबर 257/346 की मुरब्बा नंबर 14 की कुल 6.200 हैक्ट.

संभागीय आयुक्त बीकानेर

व पत्थर नंबर 257/347 के मुरब्बा नंबर 20 की कुल 0.759 हैक्ट. इसप्रकार कुल तादादी 9.616 हैक्ट. कमाण्ड कृषि भूमि है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 के पिता नत्थुराम पुत्र जमनादास ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि की वसीयत वहिस्सा बराबर–बराबर अपने तीनो पुत्रों रेस्पो. संख्या 1, 5 व 6 के पक्ष में तहरीर तकमील कराकर दिनांक 03.05.1994 को उप पंजीयक रायसिंहनगर से पंजीबद्ध करवा दी थी। नत्थुराम का देहान्त दिनांक 05.12.2000 को हो गया था। तत्पश्चात् उक्त विवादित भूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 05.03.2001 को तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के समक्ष पेश करने पर नत्थुराम के सभी वारिसानों के पक्ष में विरासतन इन्तकाल संख्या 204 दिनांक 20.05.2009 को दर्ज कर दिया। उक्त इन्तकाल संख्या 204 दिनांक 20.05.2009 से व्यथित होकर रेस्पोडेंट संख्या 01 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 204 दिनांक 20.05.2009 को दिनांक 21.04.2014 को निरस्त करते हुए तहसीलदार रायसिंहनगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि उभय पक्षकारान को सुनकर व वसीयत के गुणावगुण पर साक्ष्या आदि लेकर नियमानुसार निर्णय पारित करें। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 21.04.2014 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री राजेन्द्र सिंह शिमला ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का विधिसम्मत विवेचन किये बिना आदेश पारित किये गये है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को पक्ष रखने का व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। वसीयत फर्जी व कूटरचित है। विरासतन नामान्तरकरण संख्या 204 दिनांक 20.05.2009 दर्ज करते समय सभी पक्षों की सहमति से नामान्तरण दर्ज किया गया था। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिस्कल प्रकिया है जिससे किसी के अधिकारों का विनिश्चय नहीं किया जाता। अधिकारों का विनिश्चय नियमित वाद पत्र के द्वारा ही किया जाएगा। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 5 श्री पवन शर्मा ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम पंचायत ग्राम 58 एम.पी. द्वारा विरासतन इन्तकाल दर्ज करते समय मृत्तक नत्थुराम के समस्त जायज वारिसान को सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं करते हुए निर्णय पारित किया जो न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। वसीयत रजिस्टर्ड दस्तावेज है, जिसे कूटरचित/फर्जी नही माना जा सकता। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 6 के अधिवक्ता ने दिनांक 12.07.2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बुद्धचन्द की मृत्यु की सूचना दिए जाने के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बावजूद आदिनांक उसके वारिसानों की सूची प्रस्तुत नहीं की, जिससे अपील अपीलांट Abate फरमाई जावे।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के देहान्त की सूचना दिनांक 12.07.2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 6 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कर दी गई। उक्त तिथि के बाद आगामी पेशियों पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के वारिसान की सूची मय दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अभिभाषक अपीलांट को बार—बार पाबन्द किया गया। परन्तु अभिभाषक अपीलांट ने उक्त वारिसान की सूची मय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। अतः अपील अपीलांट गुणावगुण के आधार पर निर्णित नहीं करते हुए, इसी स्तर पर अदम तकमील खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.02.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर